राष्ट्रीय राजस्व लोक अदालत बैंच सं. 2
(न्यायालय :- अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर)

महेन्द्र सिंह बनाम बलविन्द्र सिंह आदि
वाद सं 233/21 सीआईएमएस आईडी 2021/950
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

12.03.2022

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, (माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय), श्रीगंगानगर द्वारा आदेश कमांक/स्था/ने.लो.अ./2022/21 दिनांक 10.03.2022 के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत (राजस्व न्यायालयों) हेतु गठित की गई बैंच सं. 2 के समक्ष न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा प्रकरण लोक अदालत में रैफर किए जाने के परिणामस्वरूप आज यह पत्रावली लोक अदालत बैंच के समक्ष पेश हुई। प्रकरण में प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा मूल वाद में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रकरण में पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया हैं, और अदालत की भावना से प्रेरित होकर निस्तारण करवाना चाहते हैं। प्रकरण चलाना नहीं चाहते हैं। वकील वादी वाद पत्र नोट–प्रेस कर प्रकरण का इसी स्तर पर निस्तारण करने हेतु निवेदन किया। जिस पर वकील वादी को वाद पत्र नोट प्रेस करने की अनुमति दी जा चुकी हैं। वकील प्रार्थी प्रार्थना पत्र नोट प्रेस कर इस प्रकरण के निस्तारण हेतु निवेदन किया। चूंकि मूल वाद वकील वादी द्वारा नोट प्रेस आधार पर खारिज किया जा चुका हैं। अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह गयी हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी वकील प्रार्थी द्वारा नोट–प्रेस करने के आधार पर इसी स्तर पर खारिज किया जाता हैं, तथा प्रकरण में पारित अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 08.12.2021 को निरस्त किया जाता हैं। पत्रावली फैंसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मूल वाद संलग्न रहे।

Not Press
[signature]

[signature]
सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच
रायसिंहनगर

[signature] 12/3/22
अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita
Date: 2022.05.12 11:53:5
Reason: SelfAttested